पहले मंत्री जी इसका खुलासा कर दें कि क्या वे न्यायालय मे जाने की स्थिति मे है या नही ?

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो केसिज न्यायालय मे जा सकते है उनके बारे मे हम न्यायालय मे जा रहे है। साधारणत ता नीति यही है कि लागा को कोर्ट मे प्रासीक्यूट किया जाए। लेकिन माननीय सदस्य समझत है कि बहुत सारे फाइनेंशियल आरगेनाइजेशन्स हे जिनके खिलाफ सक्सेसफुल्ली प्रासीक्यूशन नही हो सकता है वे इन एक्टीविटीज म दुबारा इन्वाल्व न हो उनके खिलाफ ये आर्डर्स हे और उनका रिवोक करने के बारे म मेरिट पर कार्यवाही की जाती है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सरकार का ध्यान मद्रास हाई कार्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के उस निर्णय की ओर गया है जिस मे पिछली सरकार ने काफेपोसा जो लगाया था उसके खिलाफ इन न्यायालयो ने अपने निर्णय दिए हैं ? सरकार का उनके बारे मे क्या मत है।

श्री सतीश अग्रवाल . मद्रास हाई काट ने जो फैसला दिया है उसमे उन्होने यह होल्ड किया है कि धारा 12ए के तहत एमरजेंसी के दौरान जा डिक्लेरेशन दिए गए थे यानी ग्राउन्ड्ज फर्निश नही किए जाए यह आवश्यक नहीं है उसके आधार पर मद्रास हाई कार्ट ने कहा है कि ऐसे डिटेशन आर्डर के आधार पर उस व्यक्ति को छाड दिया जाए उसके विरुद्ध भारत सरकार ने स्पैशल लीव पैटीशन सुप्रीम कार्ट मे की हुई है। गुजरात हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एमरजेंसी के दौरान धारा 12ए के डिक्लेरेशन थे उन आर्डर्ज का अपहोल्ड किया है हालाकि वह चीज वहा चैलेंज नही की गई है।

SHRI HITENDRA DESAI: Sir, with regard to the detentions under COFEPOSA, is the policy of the present Government the same as was adopted during the emergency, or is there any change due to the change of heart?

SHRI SATISH AGRAWAL The policy of the present Government is not the same as during the Emergency During the Emergency persons were indiscriminately and arbitrarily arrested while now people are being arrested on a selective basis on the evidence available before the Government

श्री ब्रज भूषण तिवारी ऐसे तस्करा का जिन का इटरपोल पुलिस ने भारत सरकार का हस्तान्तरित किया था उन मे से कितने जेल मे है और कितने इस समय बाहर है ?

श्री सतीश अग्रवाल मैंने निवेदन किया है कि कुल डेटेन्यूज की संख्या 145 है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेन्यू 6 है और स्टेट गवनमेंटस डेटेन्यूज 139 है। इटरपाल द्वारा हैड ओवर किए गये लोगो की इन मे सख्या क्या है इसकी जानकारी इस वक्त मेरे पास नही है और अगर माननीय सदस्य चाहेंगे ता मैं दे दूगा।

मोती डूगरी महल को तलाशी में बरामद वस्तुएं

*641 **श्री रामनरेश कुशवाहा** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि

(क) मोती डूगरी महल की तलाशी मे बरामद वस्तुओ का ब्योरा क्या है और वे कितनी मात्रा मे बरामद हुई;

(ख) इन वस्तुओ को किसने जमा किया था तथा कहा पर, और

(ग) उनका कुल मूल्य कितना है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH) (a) to (c) Income Tax authorities authorised under section 132 of the Income Tax Act, 1961 made seizures of the following articles from the Moti Doongri Palace, Jaipur

Date of Seizure	*Items of Seized*
5-6-1975	11 articles of jewellery valued at Rs 235·30 lakhs
10-6-1975	176 items of jewellery and other valuables valued at Rs 31 45 lakh.

The articles seized on 5-6-1975 were deposited in a bank locker in the State Bank of India and were later shifted to the Reserve Bank of India The articles seized on 10-6-1975 were deposited in the strong room of the Government of Rajasthan Treasury at Jaipur

Gold Control authorities made seizure of gold coins, sovereigns, primary gold articles and ornaments totally weighing 873 41 kgs and valued at Rs 460 28 lakhs from the Moti Doongri Palace Jaipur under the provisions of the Gold (Control) Act Besides silver coins (found along with gold coins) weighing 1988 Kg. valued at Rs 19,878/- were also seized from that palace

All the above seized gold and silver items were deposited for safe custody in the strong rooms of Bank of Baroda and United Commercial Bank both situated at Johari Bazar, Jaipur.

श्री राम नरेश कुशवाहा : प्रश्न संख्या 3292 जो कि 9 दिसम्बर, 1977 को मैंने पूछा था उस में मैंने यह पूछा था

"Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the reasons why the treasure recovered in Jaipur from Jaigarh and Moti Doongari etc. was not deposited or was deposited in short quantity,

(b) the places, where the remain- that today's answer is absolutely correct

(c) the person responsible therefor, and

(d) the action taken by Government in the matter"

इस का उत्तर मंत्री महोदय द्वारा यह दिया गया था कि मोती डूगरी में कुछ भी नहीं मिला। मैंने दोनों के बारे में मोती डूगरी और जयगढ़ के बारे में पूछा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि दोनों में से कौन सा जवाब सही है ?

मैं आ रहा हूं उस पर।

मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन का पहला जवाब सही है या आज का सही है ? अगर दोनों ही सही है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह खजाने में आज जमा हुआ है ? उस समय नहीं जमा हुआ था ? तो अब तक यह धन कहां था ?

श्री जुल्फिकार उल्लाह : मैंने जवाब में साफ कह दिया है कि किन किन तारीखों को यह तमाम चीजें जमा हुई है ? और 5 जून को और 10 जून को जमा हो चुकी हैं। कहां कहां जमा हुई है वह भी बता दिया है ? कुछ को इनकम टैक्स के आफिसर्स ने जमा किया है जो इनकम टैक्स के सिलसिले में पकड़ी गई थी, बाकी चीजों को गोल्ड कंट्रोल एक्ट में पकड़ा गया था और उन को गोल्ड कंट्रोल अथारिटीज ने जमा किया है। सब की सब उन तारीखों में जमा हो चुकी हैं।

श्री राम नरेश कुशवाहा : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। दोनों सही हैं ? तो मैं वह जानना चाहता हूं कि पहला जवाब जो आया था वह कैसे सही है अगर उन्हीं तारीखों में जमा हुआ है ? या तो वह सही है या यह सही है। दोनों में से कौन सा सही है ? और अगर पहला सही है तो आज तक अपनी कस्टडी में रखने का जिम्मेदार कौन है ?

अभी हमारे पहले सवाल का जवाब ही नहीं साफ हुआ है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह गलत उत्तर दे रहे हैं। . . .

(व्यवधान)

श्री बुल्लिकार उल्लाह : इस सवाल में दूसरे पेलेसेज का जिक्र नही किया गया, कोई पूछा नही गया है । इस सवाल में मोती डूगरी पैलेस का ही पूछा गया है और उसी का जवाब दिया गया है । इसलिए यह जो अब माननीय सदस्य पूछ रहे हैं यह सही नहीं है ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब नही आया ।

MR. SPEAKER: He says there is a contradiction. He says that earlier, you have given a different answer.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): There is no contradiction. What he has said today is a correct answer. For the question that is put o-day, he answer is given. And he answer given o-day is correct, as of the date.

MR. SPEAKER: The Minister says that to-day's answer is absolutely correct.

श्री राम नरेश कुशवाहा : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी सवाल रह गया है । आप हमारी बात तो सुन लीजिये । मेरा सवाल था :

"The reasons why the treasure recovered in Jaipur from Jaigarh and Moti Doongari. . .

स्पष्ट था और उस समय जवाब दिया गया कि कुछ नहीं मिला । हमारा प्रश्न है कि आज का उत्तर अगर सही है तो वह खजाना आज तक कहां था । अभी तो हमारा पहला प्रश्न ही नहीं खत्म हुआ । हमारे पहले प्रश्न का उत्तर मिले फिर दूसरा सवाल करने का मौका दिया जाय ।

श्री बुल्लिकार उल्लाह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस का जवाब दूं । पहला सवाल सिर्फ जयगढ़ फोर्ट की खुदाई के मुताल्लिक था । . . . .

श्री हुकम चन्द कछवाय पहला उत्तर उन्होंने गलत दिया था और मंत्री जी ने माना.

(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. Kachwai, he is competent enough to ask. Mr. Kushwaha, you can ask for a half-an-hour discussion, if necessary.

श्री हुकम चन्द कछवाय: वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास जमा था, इस को यह छिपाना चाहते हैं ।

MR. SPEAKER: If the answer is not satisfactory, you can ask for a half hour discussion. But you cannot insist on this.

You must know the rules. (*Interruptions*)***

MR. SPEAKER: Don't record Please, Mr. Kushwaha, I have allowed you 4 questions. If the answers are not satisfactory, you can ask for a half hour discussion. That will be considered.

(*Interruption*)***

MR. SPEAKER: Don't record.

(*Interruption*)***

MR. SPEAKER: Nothing is recorded.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): Because he has referred to me, may say this? This is not the way of getting a reply from me, and it does not befit my hon. friend to talk in this manner. I must

***Not recorded.

tell him that. If he is going only to raise his voice like that and think he is right, it is very wrong That is not the way to deal with the question. I hope he will do better than that (*Interruptions*)

श्री भानु कुमार शास्त्री : इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी सदन में प्रश्न रखा था, जिसका उत्तर यह मिला कि वहां से कुछ प्राप्त नहीं हुआ । यह खेद का विषय है । मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो खजाना निकला, जो बैंकों में रखा गया है क्या यह नियम के विरुद्ध था, यदि नियम के विरुद्ध था, तो उन के खिलाफ बीच में कार्यवाही चली और फिर बन्द हो गई आज इतने महीने हो गए हैं वह केस किस स्टेज पर है । गोल्ड कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत या किसी अनियमितता के आधार पर जो केस चला था अब उस का क्या स्थिति है, वह किस स्टेज पर है ?

SHRI H M PATEL I would like to clarify First of all there is a lot of confusion What is referred to is the search for treasure which was said to have been hidden in Jaipur Fort That was one thing That search commenced in June 1976 and was abandoned in November 1976 The search was undertaken under an agreement entered into between the Government of India and Col Bhawani Singh of Jaipur Nothing was found Regarding the expenditure actually we spent quite a lot of money on these digging operations The question that was put today was very clear It says

"(a) the details and the quantity of articles seized during the search of Moti Doongari palace"

We have said what has been found in that Palace

"(b) who deposited these articles and where,"

There also the answer has been given where it is deposited So there is no question of keeping anything back from the House I do not know why the hon Member feels that it has not been answered Then he has asked a further question about the action taken for the enforcement of the Gold Control Act The position under the Gold Control Act is this Two show-cause notices covering the entire items excepting a gold parrot were issued to Shrimati Gayatri Devi Col Bhawani Singh and Shri Jai Singh on the 28th February 1975 and on the 3rd September 1975 A third show-cause notice was issued for the gold articles and parrot to Col Bhawani Singh In all three notices were issued The first two cases covering 895 107 kilo grams of gold has been adjudicated by the Collector of Central Excise Jaipur The seized items have been confiscated, but allowed to be redeemed on payment of a fine in lieu of confiscation of Rs 1 5 crores A personal penalty of Rs 5 lakh in addition has been imposed on Lt Col Bhawani Singh in his capacity as karta of the HUF No penal action has been taken against Shrimati Gayatri Devi as the case is jointly defended by the members of the erstwhile ruling family as HUF The party has paid the fine and the personal penalty on 6th February, 1978 and the goods have been redeemed An appeal filed by the party against the adjudication order has been received recently and is being processed

Tendency to purchase of Gold after Demonetisation

*642 SHRI DHIRENDRANATH BASU Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether it is a fact that after demonetisation of currency notes of Rupees one thousand and above, tendency to purchase of gold in Principal Bullion Markets of India and neighbouring countries like Nepal, Bangla-